

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी		कानाराम पुत्र प्रेमराम जाति बावरी निवासी रामपुरा लाम्बा तहसील नावां जिला नागौर
राजस्व प्रार्थना-पत्र - अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908		
वाद-पत्र नम्बर 87/2020	RCMS No. 2020/00174	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25.08.2020	<p>यह राजस्व प्रार्थना-पत्र राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला (नागौर) की ओर से अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत के तहत विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार कुचामनसिटी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस दौरान बताया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी में स्थित खसरा नम्बर 455/207 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आवासीय कॉलोनी काटकर कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, अप्रार्थी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता-फैसला वाद पांबद फरमाया जावे। इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्ण क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 21.09.2020 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी में खसरा नम्बर 455/207 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय भूमि को अप्रार्थी अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण भारग्रस्त इत्यादि नहीं करे, एवं उक्त भूमि में किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे, दौराने वाद विवादित आराजी को गैर कृषि कार्यो के लिये उपयोग में नहीं लेवे। पत्रावली दिनांक 21.09.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</b></p>	
21.9.2020	<p>पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधार हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11.11.2020 को पेश है।</p>	
11.12.2020	<p>पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधार हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11.12.2020 को पेश है।</p>	



11/12/2020

पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड

अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधार

है: अन पत्रावली दिनांक 19.01.2021 को पेश हुई

19.01.2021

पत्रावली पेश हुई। राज पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी कानाराम द्वारा प्रार्थना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। शामिल मिसल रहे। पक्षकारान को सुना गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में विधिपूर्वक राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के तहत प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी द्वारा आदेश प्रारूप-11 क्रमांक/न.पा.कु./भूमि/2018-19/2870 दिनांक 05.10.2018 अनुसार दीपपुरा के खसरा नम्बर 455/207 रकबा 0.4854 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 454/207 रकबा 0.3236 हैक्टर को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि पुनर्ग्रहित कर नगरपालिका कुचामनसिटी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रकरण में राज पैरोकार एवं अप्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी द्वारा 05.10.2018 को आदेश पारित किया जा चुका है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेज से होती है। प्रकरण में अब किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं है, अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.08.2019 का निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आर.टी.एक्ट 1955 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 19/01/2021 को सरे इजलास सुनाया गया

(बिबुलाल जाट)

उपखण्ड अधिकारी

कुचामनसिटी(नागौर)